



सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्व: प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल-07

{धारा 4(1)(ख)(VII)}

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

31 मार्च 2026 तक अद्यावधिक

1— सहकारिता विभाग के नियन्त्रणाधीन सहकारी संस्थाओं के कार्य व्यवसाय के लिए नीति निर्धारण सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित संचालक मण्डल द्वारा कार्यनीति संकल्प पारित कर मासिक तथा वार्षिक सामान्य निकाय की बैठकों में सहकारी उपविधियों, नियमावली तथा अधिनियमों के अधीन प्रस्तावित की जाती है।

2— निर्वाचित संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्यनीति सहकारिता विभाग के ग्राम, विकास खण्ड तथा जनपद स्तरीय समीक्षा के उपरान्त विभागाध्यक्ष के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाती है।

3— सहकारिता क्षेत्र के विकास में जन प्रतिनिधियों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। वरन् सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सहकारी बन्धुओं द्वारा सहकारिता आन्दोलन के विकास हेतु रणनीति प्रस्तावित की जाती हैं।

4— प्रस्तावित नीतियों का क्रियान्वयन सहकारिता विभाग के विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), तहसील स्तर पर अपर जिला सहकारी अधिकारी, जनपद स्तर पर जिला सहायक निबन्धक तथा राज्य स्तर पर निबन्धक सहकारी समितिया द्वारा किया जाता है।
